UPSI010038402016

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, सीतापुर।

उपस्थित– गगन कुमार भारती, (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O.Code no-UP6253

केस नं0 18/2016

CIS No. 3800018/2016

सरकार बनाम मोछारे आदि।

अ0सं0– 120/2015
धाराः 2(B)(ii)/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0
थानाः रेउसा, जिला सीतापुर।

आरोप

मैं, गगन कुमार भारती, विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, सीतापुर आप अभियुक्तगण **मोछारे, कल्लू, नयूम, जलीश, नसरूद्दीन एवं गोबरे** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूंः–

प्रथमः– आप लोगों ने वर्ष 2015 में तथा उससे पूर्व जनपद सीतापुर की सीमा में विभिन्न समय व स्थानों पर भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से चोरी, गोकशी का प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगो ने समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हुये धारा 2(B)(ii)/3 उ0 प्र0 गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं यह निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोप में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांकः 15.02.2021

(गगन कुमार भारती)
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2,
सीतापुर।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया उन्होंने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांकः 15.02.2021

(गगन कुमार भारती)
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2,
सीतापुर।

वसीम/

Digitally signed by Gagan Kumar Bharti
Date: 2021.02.15 17:44:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sitapur